न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 136/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/198

प्रार्थीया:—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
बसन्तीदेवी पत्नी मीठाराम जाति मीणा निवासी ग्राम कानेलाव तहसील व जिला पाली		1. दाकु पत्नी स्व. उगमराज जाति मीणा निवासी ग्राम कानेलाव तहसील व जिला पाली 2. सरपंच जरिये ग्राम पंचायत कुरना, तहसील व जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित, भेराराम परिहार।

—: निर्णय :—

दिनांक : 11/06/2025

प्रार्थीया की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत कुरना द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 69 दिनांक 12.06.1993 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। ग्राम पंचायत में रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त हुआ। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थीया ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत ने प्रार्थी के हक, अधिकार की भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा जारी करने से पूर्व न तो मिसल कायम की और न ही पंचायतीराज नियमों में वर्णित प्रावधानों की पालना की गयी। अप्रार्थी को विधिविरूद्ध तरीके से बिना कोई कार्यवाही किये सीधे ही पट्टा जारी कर दिया, जिसे खारिज फरमावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीया की एकपक्षीय श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत कुरना द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 69 दिनांक 12.06.1993 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी ने जैर निगरानी याचिका लगभग 30 वर्ष के विलम्ब के बाद प्रस्तुत की गयी, उनके द्वारा उक्त विलम्ब के भी कोई स्पष्ट कारण प्रलिक्षित नहीं किये है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त 2005(2) RRT 1225 Gordhan & Ors. vs. State of Rajasthan & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953—धारा 27ए—ग्राम पंचायत ने 125 भूखण्ड नलामी द्वारा बेचे—बाजार दाम से कम मूल्य पर भूखण्ड बेचने की शिकायत पर कलेक्टर ने

अति. जिला कलेक्टर, पाली

विक्रय निरस्त किया–उच्च न्यायालय द्वारा कलेक्टर का आदेश अपास्त किया गया–उच्च न्यायालय के निर्णय के 7 वर्ष बाद पंचायत विस्तार अधिकारी ने विभिन्न निगरानियां पेश की–जांच रिपोर्ट के अलावा अन्य साक्ष्य नहीं–पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा शक्तियों के उपयोग में 6–7 वर्ष का असाधारण विलम्ब–जांच रिपोर्ट प्रार्थीगण के ध्यान में नहीं लाई गई और उसमें उल्लेखित आरोपों का जवाब देने का अवसर नहीं दिया–22 वर्ष पूर्व भूखण्ड क्रय किये और अब निलामी क्रेताओं को बेदखल करना न्यायसंगत नहीं होगा–आदेश अपास्त किया। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय का अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2008(2) DNJ (Raj.) 735 Abdul Latif & Anr. vs State & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 97–राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम, 1961–नियम 270–राजस्थान पंचायत नियम, 1996–नियम 166–पुनरीक्षण–का विस्तार–प्रार्थी ने कलेक्टर के समक्ष यह अभिकथित करते हुए पुनरीक्षण दायर किया कि ग्राम पंचायत ने विधि के प्रावधानों के विपरीत पट्टे जारी किये–पुनरीक्षण 21 वर्षो की देरी से दायर किया गया–प्रार्थी को अपील का त्वरित उपचार उपलब्ध था लेकिन उसने पुनरीक्षण याचिका को पोषणीय करने में हितबद्ध व्यक्ति है–पट्टे वर्ष 1981 में जारी किये गये तथा प्रार्थी ने पुनरीक्षण याचिका वर्ष 2002 में दायर की वह भी देरी का समुचित कारण बताये बिना–अप्रार्थी संख्या 6 ने वर्ष 1998 में विवादित भूमि पर निर्माण कराना शुरू किया तथा इस बारे में अन्य लोगों ने दीवानी वाद भी दायर किया–निर्णित, जिला कलेक्टर ने प्रार्थी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज करके सही किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने जैर निगरानी याचिका लगभग 30 वर्ष बाद देरीना के बिना कोई ठोस व स्पष्ट कारण बताये हुये प्रस्तुत की, जो प्रथमदृष्टया म्याद के आधार पर खारिज योग्य है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह रहा कि जैर निगरानी पट्टे की आराजी पर उनका कब्जा है और ग्राम पंचायत ने विधिविरूद्ध तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपने कथनों सम्बन्ध में ऐसे कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किये जिससे यह जाहिर हो सके कि जैर आराजी पर प्रार्थीया का कब्जा हो, केवल मात्र मौखिक कथन से यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिये अधिवक्ता प्रार्थीया का उक्त कथन प्रमाणित नहीं होने की दशा में स्वीकार योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीया ने ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टे को खारिज किये जाने के सम्बन्ध में उठाये गये बिन्दु प्रक्रियात्मक एवं नियम विरूद्ध पट्टा जारी करने की कमियों के सम्बन्ध में है, जैसे निर्धारित शुल्क जमा नहीं करवाना, नक्शे में पडौस का अंकन नहीं होना, तीन पंचों को नियुक्त नहीं करना, आउटवर्ड नम्बर अंकित नहीं होना, भूमि निरीक्षण प्रपत्र में कमियाँ आदि। चुंकि उक्त निगरानी प्रार्थीया द्वारा प्रक्रियात्मक कमियाँ तथा ग्राम पंचायत द्वारा नियम विरूद्ध पट्टा जारी करने का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत की गई है, ऐसे में हस्तगत निगरानी में न्यायहित को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टे की सत्यता/प्रमाणिकता के सम्बन्ध में पंचायत राज नियम, 1996 के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत जांच किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

उपुर्यक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 खारिज किया जाता है। साथ ही विकास अधिकारी पंचायत समिति, पाली को निर्देशित किया जाता है कि वे दो माह में जाँच करे कि यदि प्रकरण में नियमों–प्रावधानों का ग्राम पंचायत के स्तर से उल्लंघन होना पाया जावे या सम्पूर्ण कार्यवाही में गंभीर अनियमितता पायी जावे जिससे सम्पूर्ण पट्टा जारी करने की प्रक्रिया दूषित (Vitiate) हुई हों तो अविलम्ब प्रकरण बनाकर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे। ग्राम पंचायत के स्तर पर रही साधारण लिपिकीय या प्रक्रियात्मक कमियों के कारण लगभग 30 वर्ष पूर्व जारी पट्टे को बिना विस्तृत जांच किए निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इससे अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने व अनावश्यक लिटिगेशन बढ़ने की संभावना रहती है। अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि सम्बन्धित को पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 11/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली